

कांसांतव,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सखनऊ

संख्या.- प्राधिप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

सखनऊ दिनांक: 09/08/2021

आज्ञापन शीर्षक:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक सत्र 2021-22 हेतु हिन्दोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, (अ/प्र) सखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सभ्य हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सटीक पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विवेक सवे निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, (अ/प्र) सखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु विनियमित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1589-J.K.INSTITUTE OF PHARMACY, GT ROAD, KHURJA, BULANDSHAHAR

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आईसीटीआई/ पीसीआई द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आईसीटीआई/पीसीआई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेन्टर विनियमवाली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक टर्जों पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु ₹०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-समझ पर सखनऊ द्वारा निर्गत किये जाने वाले आसन्नदेश प्रकाशकों को और तदनुसार

  
Principal  
J.K. Institute of Pharmacy  
KHURJA U.P.

कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनताम दरें लागू होंगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अर्जेंटिड शर्तों को ही प्रवेश दिया जायेगा। शर्तों के रिजल्ट सह जाने की दिशा में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आइ०सी०टी०ई०पी०सी०आइ० से आयागी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाय आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अविनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल राती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद-दापर किया जाता है तथा दापर वाद के संबंध में सा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदित प्रवेश परीक्षा हेतु कंडिशनल प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आइ० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कायमत्व को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश भी (कंडिशनलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने बैलकाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त छात्राकरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिस्ट्रार, बीके के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है, और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था ने भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आइ०सी०टी०ई०पी०सी०आइ० परिषद के मातृकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का अनुपालन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार

11

अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

(तुनील कुमार सोनकर)

सचिव

शुभसं: प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2021/353B-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिनिधि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, J.K. INSTITUTE OF PHARMACY, GT ROAD, KHURJA, BULANDSHAHAR



(तुनील कुमार सोनकर)

सचिव



Principal

J.K. Institute of Pharmacy  
KHURJA, U.P.

**कार्यालय,  
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उदयगंज जखमण्ड।**

संख्या— सचिव/परिषद/सम्बद्धता/पाठ्य/150/1  
सदरनाम दिनांक: 15-8-2020

-कार्यालय प्राप्त-

जिसका संशोधन जखमण्ड के सचिव, प्राथमिक/प्राथमिक शिक्षा परिषद, उदयगंज जखमण्ड को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 15-8-2020 को किया गया था। इस मामले में उदयगंज प्राथमिक शिक्षा परिषद, उदयगंज जखमण्ड से सम्बद्धता/सम्बद्धता विभाग द्वारा दिनांक 15-8-2020 को किया गया था। प्राथमिक शिक्षा परिषद, उदयगंज जखमण्ड को उदयगंज जखमण्ड के सचिव, उदयगंज जखमण्ड को दिनांक 15-8-2020 को किया गया था। उदयगंज प्राथमिक शिक्षा परिषद, उदयगंज जखमण्ड को उदयगंज प्राथमिक शिक्षा परिषद, उदयगंज जखमण्ड को दिनांक 15-8-2020 को किया गया था।

उदयगंज प्राथमिक शिक्षा परिषद, उदयगंज जखमण्ड को उदयगंज प्राथमिक शिक्षा परिषद, उदयगंज जखमण्ड को दिनांक 15-8-2020 को किया गया था। उदयगंज प्राथमिक शिक्षा परिषद, उदयगंज जखमण्ड को उदयगंज प्राथमिक शिक्षा परिषद, उदयगंज जखमण्ड को दिनांक 15-8-2020 को किया गया था।

मिथी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मसी परीक्षाएं संयोजित करने वाली संस्थाएँ, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उदयगंज जखमण्ड से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं वर्ष 2020-21 ई. में पीसीआईओ द्वारा उन्हें वध्यावत अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईओ द्वारा प्रदान किए जाने वाले अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्बद्ध अधिकृत पाठ्यक्रम/प्रवेश बनता है। वर्ष 2020-21 ई. में परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने वाले पर सचिविता द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईओ द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुसार वर्ष 2020-21 ई. में परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिए जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 15-8-2020 को प्राप्त सम्बद्धता समिति की बैठक में किए गए निर्णय विस्तार के अनुसार नए विचार-विमर्श को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उदयगंज जखमण्ड द्वारा वर्ष 2020-21 ई. में उदयगंज प्राथमिक शिक्षा परिषद, उदयगंज जखमण्ड से सम्बद्धता/सम्बद्धता विभाग द्वारा किया गया है।

क्र. सं.	नाम	सम्बद्धता का नाम	सम्बद्धता का नाम	पीसीआईओ द्वारा वर्ष 2020-21 ई. में अनुमोदन प्रदान किया गया है।	पीसीआईओ द्वारा वर्ष 2020-21 ई. में अनुमोदन प्रदान किया गया है।
1	सचिव, उदयगंज प्राथमिक शिक्षा परिषद, उदयगंज जखमण्ड			हां	हां

सम्बद्धता हेतु जारी

- ✓ उदयगंज प्राथमिक शिक्षा परिषद, उदयगंज जखमण्ड द्वारा किया गया है।
- ✓ उदयगंज प्राथमिक शिक्षा परिषद, उदयगंज जखमण्ड द्वारा किया गया है।

  
 Principal  
**AJ Institute of Pharmacy**  
 KHURJA, U.P.



**कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्रावि/परिषद सम्बद्धता/2019/ 1132

लखनऊ, दिनांक: 18-5-2019

**कार्यालय ज्ञाप-:**

प्रधान कार्यालय, प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2018-20 हेतु डिप्लोमा (सहायक) शिक्षण सहायता को अनुमोदन प्रदान किए जाने के तहत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, को सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 18-5-2019 को संयुक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की सम्बद्धता में त्रिस्तरीय समन्वय में प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। बैठक में सत्र 2018-20 हेतु प्राविधिक सहायता को सम्बद्धता/पूर्व में स्थापित सम्बद्धता को सम्बद्धता विस्तार/साध्यकरण/प्रदान-सम्बद्धता वृद्धि/वर्गी हेतु सत्र 2018-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त में अनुमोदन में सम्बद्धता समिति की बैठक में सत्र-18 में डिप्लोमा इन कार्मसी प्रत्यक्षन सम्बन्धित रूप में उत्तीर्ण की सम्बद्धता उत्तीर्ण का प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा सहायक शिक्षण-विभाग का दिनांक विस्तार प्रदान किया गया।

परिषद से पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा इन कार्मसी प्रत्यक्षन संचालन करने वाली संस्था जिनकी प्रदेश क्षमता में ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2018-20 में विस्तार किया गया है, एवं पी0सी0आई0 द्वारा ऐसी संस्थाओं को सत्र 2018-19 से ही प्रवेश क्षमता वृद्धि में अनुमोदन प्राप्त है, के संस्थ में समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया एवं सत्र 2018-20 हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा प्रदत्त प्रदेश क्षमता के अनुसार ही परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त विचारधारा संबंधित संस्था को परिषद को सम्बद्धता समिति द्वारा किये एवं निर्णय के अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 20 80 सम्बद्धता द्वारा सत्र 2018-20 हेतु निर्धारित शर्तों को ज्यों ही सम्बद्धता एवं प्रवेश अधिकार प्राप्त बनाया हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	संस्था का नाम	सम्बद्धता का नाम	साध्यकरण का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2018-20 में अनुमोदन प्राप्त सम्बद्धता	संस्था द्वारा सत्र 2018-20 में अनुमोदन प्राप्त क्षमता
1	ए0आई0सी0टी0ई0	ए0आई0सी0टी0ई0	डिप्लोमा इन कार्मसी	30	45

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ सत्र 2018-20 हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों को पूर्णतः पालन करने।
- ✓ सहायक शिक्षण प्रदान प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनों की शर्तों को पूर्णतः पालन करने।
- ✓ प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की अनुमोदन करणी तथा राज्य निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित शुल्क को पूर्णतः भरना।
- ✓ ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2018-20 में अनुमोदन प्राप्त सम्बद्धता हेतु सत्र- 2018-20 में ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र- 2018-20 में अनुमोदन प्राप्त सम्बद्धता को पूर्णतः पालन करना।
- ✓ ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2018-20 में अनुमोदन प्राप्त सम्बद्धता को पूर्णतः पालन करना।
- ✓ ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2018-20 में अनुमोदन प्राप्त सम्बद्धता को पूर्णतः पालन करना।
- ✓ ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2018-20 में अनुमोदन प्राप्त सम्बद्धता को पूर्णतः पालन करना।
- ✓ ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2018-20 में अनुमोदन प्राप्त सम्बद्धता को पूर्णतः पालन करना।
- ✓ ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2018-20 में अनुमोदन प्राप्त सम्बद्धता को पूर्णतः पालन करना।
- ✓ ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2018-20 में अनुमोदन प्राप्त सम्बद्धता को पूर्णतः पालन करना।

*(Signature)*

**Principal  
JK Institute of Pharmacy  
KHURJA, U.P.**

